मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अधिसूचना भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013

धारा–11

कमांक 261 /भू.अर्जन/प्र.कं1/अ/82/16–17 कुण्डम, दिनांक 2-9-16

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है ।

चूंकि हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम घोड़ाटाकन की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (12) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हैक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
जबलपुर	कुण्डम	घोड़ाटाकन	20.860	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू–अर्जन अधिकारी कुण्डम	हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु

1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है ।

2 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू'–अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(महेशचंद्र चौधरी)
कलेक्टर जबलपुर एवं पदेन
अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग